प्रपत्र 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.**

उनवान

1. मदनलाल पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

बनाम

1. रामकुमार पि0मु0 किशना उर्फ बिशनाराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. होशियार सिंह पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. राजबाला पुत्री रामकुमार पत्नी राजेन्द्र जाति कुम्हार निवासी कणाऊ हाल धोलपालिया तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
4. बैंक बीओबी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

दावा बाबत :– घोषणात्मक

मुकदमा नम्बर :– 52/18

निर्णय दिनांक :– 18.06.2018

वादी की ओर से वकील श्री पूनमचन्द वर्मा व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की ओर से वकील श्री संदीप गोदारा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.06.2018 को मुझ **राजकुमार कस्वा** सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर घोषणा की जाती है कि :–

रोही मौजा कणाऊ की जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता सं0 239/240 के खसरा सं0 8 की 6.601 है0 बारानी व खसरा सं0 51 की 5.804 है0 बारानी कुल 12.405 है0 बारानी कृषि भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंक प्रतिवादिया सं0 3 ने वाद भूमि में से अपना हिस्सा अपने भाईयों वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है, इसलिए रहन मुक्त होने के पश्चात ही उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय व डिक्री आज दिनांक 18.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

पीठासीन अधिकारी

सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रैक

भादरा (हनुमानगढ)